प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 03 मार्च, 2020**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर को सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप में विकसित किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 1105.73 लाख के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 462.92 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-डी0एच-989-90/आर0के0वी0वाई0/सहारनपुर/2019-20 दिनांक 18.02.2020, तथा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-148/12-3-2020-100(37)/2017टी.सी. दिनांक 11.02.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस0एल0एस0सी0 से औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर को सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप में विकसित किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 1105.73 लाख के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 462.92 लाख (रू0 चार करोड़ बासठ लाख बानबे हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**अवमुक्त धनराशि**	**प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि**
औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर को सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल	अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें (के060/रा040-के0 + रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य	462.92	462.92
	योग	**462.92**	**462.92**

(रूपये चार करोड़ बासठ लाख बानबे हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक, उद्यान तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(6) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

http://shasanadesh.gov.in

(7) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:11/2020-408(1)/58-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(5) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.gov.in